



जनरल प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान

भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच-2019

भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच-2019 का संस्थानिक जिला प्रशिक्षण 7 प्रशिक्षु अधिकारियों से 11 मई, 2020 को प्रारम्भ हुआ। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ बातचीत उपरांत कोविड-19 की महामारी में सरकार की भूमिका एवं प्रशासन के कार्य को जमीनी स्तर से समझने हेतु उन्हें सीधे जिला प्रशिक्षण के लिये संबंधित जिलों में भिजवाया गया। इस दौरान इनके लिए ऑनलाईन प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किये गये। 29 जून, 2020 से 17 जुलाई, 2020 तक इस बैच के लिये संस्थान में तीन सप्ताह के लिये प्रशिक्षण सत्र रखे गये जिसमें मुख्यतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, राजस्थान प्रशासनिक, वित्तीय एवं सेवा नियमों आदि की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी गई। इसके बाद प्रशिक्षु अधिकारी जिला प्रशिक्षण के लिये संबंधित जिले में गये। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों ने कलक्टर, जिला परिषद, पटवारी, एस.डी.एम., पुलिस आदि के साथ अटैचमेंट कर उनके कार्य की पूर्ण जानकारी हासिल की।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 से 1 नवम्बर, 2020 तक प्रशिक्षु अधिकारियों का मिड टर्म रिव्यू संस्थान में रखा गया। सबसे पहले प्रशिक्षु अधिकारियों ने जिला प्रशिक्षण के अनुभव तथा कठिनाईयाँ महानिदेशक एवं अतिरिक्त महानिदेशक के साथ साझा की। इसके पश्चात् मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत मेन्टर्स के साथ प्रशिक्षु अधिकारियों का डिस्ट्रिक्ट फीडबैक प्रजेन्टेशन हुआ साथ ही अपने अनुभव भी साझा किये। प्रशिक्षण को मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिये, प्रमुखतः रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमराना, महेन्द्रा सेज, जयपुर तथा ऐतिहासिक वाटर वॉक नाहरगढ़ के शैक्षणिक भ्रमण रखे गये। दिनांक 18 नवम्बर, 2020 से प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजस्थान दर्शन भ्रमण के लिये प्रस्थान किया जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को राजस्थान के शाही इतिहास, शानो शौकत, प्राकृतिक सुन्दरता के दर्शन कराने के साथ ही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जिले की समस्याओं से रुबरु कराना था ताकि भविष्य में जिले के उत्थान के लिये कार्य कर सकें।

मिड केरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2019-20 बजट घोषणा (179) के संदर्भ में राज्य के सभी विभागों के राज्य सेवा के अधिकारियों को अपने सम्पूर्ण केरियर में 8, 16 एवं 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तीन प्रशिक्षण अनिवार्य किये गये हैं। उक्त घोषणा की पालना में एच.सी.एम. रीपा, जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा राज्य सेवा अधिकारियों के लिए माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2020 तक कुल 10 पांच दिवसीय मिड केरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में सहकारिता विभाग, पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी, आयुर्वेद, पशुपालन, कॉलेज शिक्षा, देवस्थान, कृषि एवं पॉलोटेक्निक कॉलेज के लगभग 235 अधिकारी समिलित हुए। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों की क्षमता वर्धन एवं तनाव मुक्त होकर कार्य करने एवं नये सरकारी नियमों और योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम (अक्टूबर-दिसम्बर 2020)

रीपा संस्थान जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अक्टूबर-दिसम्बर 2020 के मध्य कुल 125 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 2,735 पुरुष व 160 महिलाओं सहित कुल 3,995 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस

संस्थान द्वारा अक्टूबर से दिसम्बर, 2020 की अवधि में सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस पर कुल 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें विभिन्न विभागों के 238 प्रतिभागियों (पुरुष 164 व महिलाएं 74) ने भाग लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न विषयों पर आयोजित किये गये: पावर प्लाइट, डिजिटल प्रशिक्षण उपकरण व डेटा एनालिटिक्स, एमएस एक्सल का उपयोग, डेटा विश्लेषण, सूचना सुरक्षा प्रबंधन एवं कार्यालय प्रक्रिया और ई-गवर्नेंस।

बाल सन्दर्भ केन्द्र

बाल सन्दर्भ केन्द्र, एच.सी.एम. रीपा (Child Resource Centre) द्वारा बाल अधिकारिता विभाग एवं यूनिसैफ के सहयोग से बाल संरक्षण अधिकारियों का क्षमतावर्धन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। बाल सन्दर्भ केन्द्र द्वारा अक्टूबर, 2020 से दिसंबर, 2020 में कुल 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। किशोर न्याय एवं बाल संरक्षण व्यवस्था के 175 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उक्त माह में विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये। यथा राजकीय शिक्षकों का बाल संरक्षण पर आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम—बैच 3, राजकीय शिक्षकों का बाल संरक्षण पर आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम—बैच 4, राजकीय प्रधानाचार्यों का बाल संरक्षण पर आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षकों का बाल संरक्षण पर आमुखीकरण प्रशिक्षण, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव का बाल संरक्षण पर आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम—चरण 1 एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम—चरण 2।

चाइल्ड प्रोटेक्शन सपोर्ट डेस्क के द्वारा लगभग 96 से अधिक प्रश्न प्राप्त किए गए। प्रश्नकर्ताओं को तकनीकी मार्गदर्शन, केस प्रबंधन, FIR की प्रक्रिया से अवगत, व्यक्तिगत देखरेख योजना की जानकारी, पश्चात्वर्ती देखरेख योजना की जानकारी एवं चुनौतियों को दूर कर सहयोग व परामर्श उपलब्ध कराया गया।

सेन्टर फॉर जेण्डर स्टडीज

सेन्टर फॉर जेण्डर स्टडीज द्वारा अक्टूबर से दिसम्बर, 2020 तक कुल 4 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिसमें जेण्डर बजटिंग, प्रिवेन्शन ऑफ क्राइम अगेन्स्ट वूमन एण्ड चिल्ड्रन आदि विषय सम्मिलित है। प्रशिक्षण में 130 प्रशिक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें लगभग 50 प्रतिशत पुरुष व 50 प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया गया।

प्रकाशन

रीपा संस्थान के प्रकाशन अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पुस्तिकाएं, संदर्भ पुस्तकें, ऑकेजनल पेपर, न्यूज लेटर तथा अर्द्धवार्षिक पत्रिका “प्रशासनिका” का प्रकाशन किया जाता है। माह अक्टूबर—दिसम्बर, 2020 के बीच में श्री सन्दीप वर्मा, महानिदेशक एच.सी.एम. रीपा द्वारा तैयार किया गया Occasional Paper- Is It A Bird ? Is It A Plane? Or Is It Just Public Procurement Gone Kaput ? एवं प्रो. आर.के. चौबीसा, द्वारा लिखित मोनोग्राफ्स राजस्थान सेवा नियम, विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का प्रशासन एवं कार्यालय क्रियाविधि, राजस्थान सिविल सेवाएँ आचरण नियम, 1971 प्रकाशित करवाए गये।

परीक्षा

रीपा संस्थान में दिनांक 28-30 दिसम्बर 2020 की अवधि में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों (बैच—2019) की संस्थानिक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 85 अधिकारी सम्मिलित हुए।

पुस्तकालय

एस.सी.एम. रीपा के पुस्तकालय हेतु इस वर्ष आवंटित बजट से पुस्तक खरीद हेतु माह दिसम्बर, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रदर्शित की गई। पुस्तक प्रदर्शनी में संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुस्तकों का चयन किया गया जिन्हें संस्थान की क्रय समिति द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त क्रय किया जायेगा।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये राज्य सरकार के निर्देशानुसार संस्थान स्तर पर एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जाता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14) की धारा 4(1) की अनुपालना में संस्थान में दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को आन्तरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई।